न्यायालय अपील अधिकरण (जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— गौरव अग्रवाल, आई.ए.एस.

भरण पोशण अपील संख्याः GCMS No.-2023/259

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थीगण
1—नन्द किशोर बसंल पुत्र स्व. आत्मराम बसंल, उम्र 68 वर्ष 2—सरस्वती बसंल पत्नी नन्दकिशोर बसंल जाति अग्रवाल, उम्र—63 वर्ष निवासीगण बी—216, सरस्वती नगर, रामदेव चौक, बासनी प्रथम चरण, जोधपुर		1—संतोष कुमार बसंल पुत्र नन्दकिशोर बसंल उम्र—37 वर्ष 2—सोनू बसंल पत्नी संतोष कुमार बसंल उम्र—33 वर्ष जाति अग्रवाल निवासीगण चौहान जी का नौहरा, उम्मत चौक, जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 16(1), माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.06.2023 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (उत्तर) द्वारा प्रकरण संख्या 07/2023 नन्दकिशोर बसंल व अन्य बनाम संतोष कुमार बसंल व अन्य में पारित किया गया।

उपस्थितिः—

1—अपीलार्थीगण उपस्थित।
2—प्रत्यर्थीगण उपस्थित।

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण की ओर से उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (उत्तर) के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 04, 05, 21, 22 एवं 23 माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 बाबत प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण से अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण के मकान ,दुकान एवं वाहनों का कब्जा दिलाने तथा 10,000/— प्रतिमाह भरण—पोषण राशि प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (उत्तर) द्वारा

अपील अधिकारी
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

सुनवाई कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2023 को पारित किया गया, जिसमें प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर अप्रार्थीगणों को प्रार्थीगण के मकान में रहने में किसी प्रकार की वाधा उत्पन्न नही करने, प्रार्थीगण मकान के जिस भी हिस्से में रहना चाहे वह हिस्सा खाली करके प्रार्थीगण को सुपुर्द करने, प्रार्थीगण के साथ मारपीट, गाली–गलौच अभद्र व्यवहार नही करने, बीमार होने की स्थिति में दवाई व डॉक्टर संबंधी व्यवस्था करने तथा वाहनों–होण्डा कार RJ19CH1773, मोटर साईकिल RJ19SY1329 को सुपुर्द करने हेतु आदेशित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज (GCMS No.-2023/259) कर प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये व अधीनस्थ अधिकरण का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण का नोटिस तामिल प्राप्त हुए तथा अधीनस्थ अधिकरण से मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है। नियत सुनवाई दिनांक 01.07.2025 को उपस्थित अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण का पक्ष सुना गया, इस प्रकार उभयपक्षकरान की बहस सुनी गई।

प्रत्यर्थी/अप्रार्थी–01 द्वारा तारीख पेशी दिनांक 11.09.2023 को अपील की कार्यवाही स्थगित करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया तथा दिनांक 29.04.2024 को माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान में दायर सिविल रिट पीटिशन संख्या 10771/2023 के निर्णय दिनांक 07/08/2023 की प्रति प्रस्तुत की जिसमें "In the meanwhile, no coercive action shall be taken against the present petitioners in pursuance of the order dated 28.06.2023 with the expections that the assurance given by the learned counsel for the petitioner shall be adhered to by the petitioners." का आदेश वर्णन है। तत्पश्चात अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा तारीख पेशी दिनांक 03.06.2025 को उक्त सिविल रिट पीटीशन 10771/2023 के निर्णित होने से अवगत कराते हुए रिट में माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान के निर्णय दिनांक 14.05.2025 व निर्णय दिनांक 28.05.2025 की प्रति प्रस्तुत की। तत्पश्चात प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण द्वारा उक्त वर्णित रिट में माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान के निर्णय दिनांक 28.05.2025 की पालना में एक नई अपील प्रस्तुत की जिसे तारीख पेशी दिनांक 24.06.2025 में दोनो पक्षकारान को सुनते हुए दोनो पक्षों की अपीलों को समायोजित किया गया।

अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण ने अपनी बहस में बतलाया कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 क्रमशः पुत्र एवं पुत्रवधु है। अपीलार्थी ने अधीनस्थ अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (उत्तर)) के समक्ष अन्तर्गत धारा 04, 05, 21, 22 एवं 23 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण से मकान, दुकान, वाहनों का कब्जा दिलाने एवं भरण पोषण दिलाने का आवेदन करने के उपरांत अपीलार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान नही कर विधिक भूल की है। बहस में कहा

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

गया कि अपीलार्थीगण का संयुक्त खरीदसुदा मकान जो कि वाके चौहान जी का नौहरा, उम्मेद चौक, जोधपुर (राज.) में स्थित हैं तथा अपीलार्थी संख्या–02 के स्वयं के नाम की एक दुकान जो कि लाखारा बाजार, जोधपुर में स्थित है, को प्रत्यर्थीगण जबरन कब्जा करके बैठ गये हैं तथा अपीलार्थीगण जो कि सीनियर सिटीजन की श्रेणी में है, एवं कई गम्भीर बीमारियों से ग्रसित है को प्रत्यर्थीगण को शारीरिक एवं मानसिक रूप से तंग एवं परेशान तथा प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था, और अपीलार्थीगण के प्रति प्रत्यर्थीगण नियमित तौर पर लड़ाई झगड़े करते थे, तथा व्यवहार भी क्रूर था। तत्पश्चात् प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थीगण को जबरन प्रताड़ित करते हुए अपीलार्थीगण के खरीदसुदा, पट्टासुदा एवं कब्जासुदा मकान से जबरन बेदखल कर दिया, जिससे प्रत्यर्थीगण सन् 2016 में आस्था (सीनियर सिटीजन होम / वृद्धाश्रम) दिग्विजय नगर, खेमे का कुंआ, पाल रोड़, जोधपुर में रहने को मजबूर हो गये और जब तक अपीलार्थीगण वृद्धा आश्रम में रहे, कभी भी प्रत्यर्थीगण, अपीलार्थीगण की सार–सम्भाल करने के लिए नहीं गये। अपीलार्थी संख्या–02–श्रीमती सरस्वती देवी बंसल का इलाज उनके अत्यधिक बीमार रहने की वजह से तथा जोधपुर में इलाज सम्भव नही होने की वजह से सीम्स् हॉस्पीटल, अहमदाबाद (गुजरात) निरन्तर आज दिनांक तक चल रहा हैं और जिसका समस्त खर्चा अपीलार्थी संख्या–01 की पेंशन से होने वाली आय से चल रहा हैं। कई बार अपीलार्थी संख्या–02 को जब अहमदाबाद हॉस्पीटल ले जाना था, अपीलार्थी संख्या–01 ने प्रत्यर्थी संख्या–01 को जरिये फोन सूचित किया और साथ चलने हेतु निवेदन किया लेकिन प्रत्यर्थीगण ने स्पष्ट रूप से साथ चलने से इन्कार कर दिया जिससे भी अपीलार्थीगण अत्यधिक आहात एवं पीड़ित हैं। अपीलार्थीगण वर्तमान में अपनी पुत्री रेखा जो कि मकान संख्या–बी–216, सरस्वती नगर, जोधपुर में रह रही है, उसके यहां पर बड़ी मजबूरीवश रह रहे हैं जबकि अपीलार्थीगण स्वयं की अर्जित से खरीदे गये मकान पर प्रत्यर्थीगण जबरन कब्जा करके बैठे है और अपीलार्थीगण सीनियर सिटीजन होने के बाक्जूद भी दर–दर की ठोकरें खा रहे हैं। अपीलार्थी संख्या–01 ने अपने स्वंय के द्वारा खरीदसुदा वाहन एक कार हुण्डई एक्सेन्ट जिसके रजिस्ट्रेशन RJ19/CH/1773 है, होण्डा एक्टिवा जिसके रजिस्ट्रेशन संख्या– RJ19/BA/1148 है तथा एक हीरो मोटरसाईकिल जिसके रजिस्ट्रेशन संख्या– RJ19/SY/1329 हैं को प्रत्यर्थीगण जबरन कब्जा करके बैठे है, जो अपीलार्थीगण के मांगने पर भी अपीलार्थीगण को नही दे रहे है क्योंकि प्रत्यर्थीगण का एकमात्र मकसद अपीलार्थीगण को जानबूझकर उनकी वृद्धावस्था में दुःख देना हैं तथा इसी संदर्भ में अपीलार्थीगण द्वारा तीनों वाहनों के रजिस्ट्रेशन दस्तावेजात् माननीय विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये थे किन्तु विद्वान अधिकरण ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का सही ढंग से अवलोकन नहीं करते हुए केवलमात्र यह आदेश पारित किया गया कि अपीलार्थीगण के प्रार्थना–पत्र में वर्णित होण्डा कार, जिसका रजिस्ट्रेशन नं. RJ19/CH/1773 हैं एवं मोटरसाईकिल जिसके रजिस्ट्रेशन नं. RJ19/54/1329 हैं प्रार्थी को सुपुर्द करें, प्रार्थी ने होण्डा एक्टिवा जिसका रजिस्ट्रेशन नं. RJ19/BA/1148 के सम्बन्ध में

अपील अधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

कोई दस्तावेज न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं किये हैं। उपरोक्त तथ्य पूर्ण रूप से गलत अंकित किये गये हैं क्योंकि अपीलार्थीगण द्वारा वाहनों के सम्बन्ध में रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र की फोटोप्रतियां प्रस्तुत की थी, जो कि वर्तमान में भी पत्रावली पर मौजूद हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की खण्डपीठ द्वारा सिविल रैफरेन्स नंबर–03/2020 में आदेश पारित करते हुए बुजुर्गों की सम्पत्ति के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए यह रेखांकित किया हैं कि ट्रिब्युनल के पास यह पावर है कि वह बुजुर्गो की सम्पत्ति से बेटे–बहु को वेदखल कर सके। बहस में आगे बतलाया गया कि अपीलार्थी संख्या–02 अत्यधिक बीमार रहती हैं व उसकी बीमारी के सम्बन्ध में पूर्व में सम्पूर्ण दस्तावेजात् विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे, तत्पश्चात् भी विद्वान अधिकरण द्वारा केवलमात्र अपीलार्थीगण के बीमार होने की स्थिति में दवाई एवं डॉक्टर सम्बन्धित व्यवस्था करने का आदेश प्रत्यर्थीगण को दिया जो भी प्रत्यर्थीगण आज दिनांक तक नहीं कर रहे हैं, जिससे भी अपीलार्थीगण अत्यन्त व्यथित हैं। अपीलार्थीगण की ओर से उक्त सम्पति से संबंधित राजस्थान पत्रिका दिनांक 27.06.2025 को खण्डन आम सूचना भी प्रकाशित की गई है तथा अधीनस्थ अधिकरण द्वारा प्रकरण संख्या 37/2023 प्रीति रेवाचन्दानी बनाम हितेश रेवाचन्दानी व अन्य में किये गये निर्णय दिनांक 13.03.2024 की प्रति भी प्रस्तुत की जिसमें अधीनस्थ अधिकरण द्वारा मकान खाली कर कब्जा दिलाने बाबत आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थीगण ने उक्त सम्पति के स्वामित्व से संबंधित बेचाननामों की प्रति प्रस्तुत की। बहस के अंत में अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा अपीलार्थीगण के मकान जो कि चौहान जी का नौहरा, उम्मेद चौक, जोधपुर (राज.) में स्थित हैं. दुकान जो कि लाखारा बाजार, जोधपुर में स्थित का कब्जा, एक कार हुण्डई एक्सेन्ट जिसके रजिस्ट्रेशन RJ19/CH/1773, होण्डा एक्टिवा जिसके रजिस्ट्रेशन संख्या RJ19/BA/1148, एक हीरो मोटरसाईकिल जिसके रजिस्ट्रेशन संख्या– RJ19/SY/1329 को दिलाये जाने एवं प्रत्यर्थी संख्या–01 से मासिक भरण–पोषण के रूप में राशि रूपये 10,000/–प्रतिमाह दिलाये जाने की इस्तदुआ की।

प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में बतलाया गया कि प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण ने न्यायालय भरण पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर) के समक्ष उपस्थित होकर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन एवं कथन किया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश बनाम नेहा के मामले में आदेश पारित किया है कि गुजारो भत्ते के प्रत्येक मामलें में पक्षकार अपनी आय–व्यय एवं चल अचल सम्पतियों बाबत् शपथ पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करें और साथ में बैंक स्टेटमेन्ट चल एवं अचल सम्पतियों के कागजात, आयकर रिटर्न सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे ताकि माननीय न्यायालय के समक्ष पक्षकारों की सही स्थिति आ सकें, जिसके संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में शपथ पत्र का परफार्मा भी अंकित किया है। अपीलार्थीगण अपनी आमदनी एवं सम्पतियों को न्यायालय से छिपा रहे है एवं

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपनी आय व्यय, आयकर रिटर्न, चल अचल सम्पतियों को न्यायालय से छिपा रहे है एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना नहीं कर रहे है। कि पक्षकार के मध्य कभी कोई विवाद कभी नहीं रहा है एवं अपीलार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में कोई स्पष्ट विवाद होना अंकित भी नहीं किया है। अपीलार्थी संख्या 01 सरकारी सेवा में कार्य करने के दौरान ही वर्ष 1992 में ही भारतीय जीवन बीमा निगम की एजेन्सी अपीलार्थी संख्या 02 के भाई श्याम सुन्दर अग्रवाल के नाम से ली थी। धीरे धीरे अपीलार्थी संख्या 1 का भारतीय जीवन बीमा निगम का कार्य इतना अधिक बढ़ा लिया जिसके कारण अपीलार्थी संख्या 1 ने अपीलार्थी संख्या 2 एवं अपनी पुत्री प्रमिला के नाम से भी भारतीय जीवन बीमा निगम की एजेन्सी ले ली। अपीलार्थी संख्या 2 ने पोस्ट ऑफिस की एजेन्सी भी ले रखी थी। अपीलार्थीगण द्वारा आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाईटी लिमिडेट की भी एजेन्सीया अपने नाम से ले रखी थी। भारतीय जीवन बीमा निगम का क़ाम बढ जाने के कारण और अधिक आमदनी के स्रोत हो जाने की वजह से अपीलार्थी संख्या 1 ने सरकारी नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृति ले ली। सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृति लेने के उन्हे सरकारी विभाग से एकमुश्त राशि प्राप्त हुई एवं प्रतिमाह सरकारी नियमानुसार पेंशन की राशि प्राप्त हो रही है तत्पश्चात् भारतीय जीवन बीमा निगम की एजेन्सी और पोस्ट ऑफिस की एजेन्सी भी अपीलार्थी संख्या 1 ने अपने नाम से भी ले ली। अपीलार्थी संख्या 1 के कार्य से प्रभावित होकर भारतीय जीवन बीमा निगम ने उनको क्लब मेम्बरशिप प्रदान की जो कि अधिक पॉलिसियां करवाने की एवज में मिलती है। अपीलार्थीगण ने जोधपुर शहर में अलग अलग जगहों पर विभिन्न अचल सम्पतियां भी ले रखी है। अपीलार्थीगण के पास डी.पी.एस. स्कूल, पाल रोड, जोधपुर के पास अभिषेक नगर में प्लॉट आया हुआ है तथा बोरानाडा में भी अचल सम्पति ली हुई है। अपीलार्थीगण ने इसके अतिरिक्त भी काफी अचल सम्पतियां जोधपुर शहर और उसके आस–पास ले रखी है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थीगण के पास स्वयं के नाम की लाखों की फिक्स डिपोजिट की राशि बैंको एवं पोस्ट ऑफिस में की हुई है। अपीलार्थीगण के पास सोने चांदी के गहने भी है जिन्हें अपीलार्थीगण ने अपने बैंक लॉकर में रखा हुआ है। अपीलार्थीगण के पास आज भी प्रत्यर्थी संख्या 2 के भी सभी सोने चांदी के गहने स्वयं के पास में रखे हुए है, जो करीब 30 तौला वजनी है। कि वर्तमान में अपीलार्थीगण के करीब 2,50,000/– रू. प्रतिमाह (अक्षरे रूपये दो लाख पच्चास हजार प्रतिमाह) से अधिक की आमदनी है तथा उन्हे काफी अच्छे आमदनी के स्त्रोत है। प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण पूर्णरूप से बेराजगर हो गये एवं उनके आमदनी का जरिया नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 2 के पीहर की मदद से प्रत्यर्थी संख्या 1 पापड, खीचियां, खाखरा को बेचकर जैसे तैसे अपना घर खर्च चला रहे है एवं इस कार्य को करने के लिए लखारा बाजार की दुकान को काम में लेते है और इसी काम से जैसे तैसे उनका घर का खर्च निकालते है। प्रत्यर्थीगण के बच्चे भी प्रत्यर्थी संख्या–2 के पीहर पर ही आश्रित है और वे ही उनकी शिक्षा का खर्चा वहन करते है। प्रत्यर्थीगण के दो बच्चे है, जिसमें एक पुत्र 14 वर्ष का वर्तमान

अपील अधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

आयु का है और पुत्री 10 वर्ष की वर्तमान आयु की है। प्रत्यर्थीगण के रहवास का यह एक ही घर है जिसमें वर्तमान में वे निवास कर रहे है तथा इसके अतिरिक्त उनके पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। वर्ष अक्टूबर 2016 में अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण संख्या 1 साथ–साथ दुबई घूमने भी गये थे क्योंकि उनके मध्य कोई विवाद नही था। दुबई से वापस लौटने के वाद अपीलार्थीगण कहने लगे कि उनका इस शहर के छोटे घर में मन नहीं लगता है और मन अशान्त रहता है एवं छोटे से घर में दम घुटता है इसलिये वह थोडे दिन के लिये हरिद्वार जाकर गीता भवन में जाकर रूक कर आयेंगे। अपीलार्थीगण स्वयं की इच्छा से अलग घर में निवास करने के लिये वर्ष 2016 में सीनियर सिटीज़न होम आस्था में चले गये। मई 2021 में अपीलार्थीगण सीनियर सीटीजन आस्था को खाली कर, चार लोडिंग टैक्सियां में सामान भरकर वापिस घर पर आ गये। दिनांक 08.05.2021 को वापिस मकान में आकर प्रत्यर्थीगण के साथ रहने लगे और साथ–साथ घूमने गये। पक्षकारों ने मकान में बडा हवन भी करवाया. इसके बाद अपीलार्थीगण ने अपनी पुत्री रेखा के मकान जो वाके बी–216, सरस्वती नगर, रामदेव चौक, बासनी प्रथम चरण, जोधपुर में आया हुआ है के ऊपरी हिस्से में स्वयं के पैसे खर्च कर मकान बना लिया और एक कमरा बाहर की तरफ बनवाया ताकि उसकों किराये पर दे सके। इस मकान मुहुर्त भी प्रार्थीगण ने सभी परिवारजन और रिश्तेदारों की मौजूदगी में बहुत धूमधाम से कराया। अपीलार्थीगण पूरी तरह से अपनी दोनों पुत्रियों रेखा सिघंल और टीना अग्रवाल तथा जवाई नारायण सिंघल के कहे अनुसार ही कार्य करते है और उनके साथ रहना ही पसन्द करते है। अपीलार्थीगण की पुत्रियों ने अपीलार्थीगण का धीरे–धीरे दिमाग अपनी तरफ कर लिये है। पुत्रियों व जवाई की नियत अपीलार्थीगण की अन्य चल अचल सम्पतियों पर भी है जिसमें प्रत्यर्थीगण निवास कर रहे है और काम करने के लिये दुकान भी शामिल है। अपीलार्थीगण की पुत्रीयां और दामाद सब चल अचल सम्पतियां लेना चाहती है। अपीलार्थीगण ने अपनी पुत्रीयों एवं जवाई के बहकावे में आकर यह मुकदमा झुठे आधारों पर आधारित पेश किया। धारा 4 एवं 5 के प्रावधान तभी लागू होते है जब माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक जो अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पति से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हो। जबकि मौजूदा मामले में अपीलार्थीगण को काफी अच्छे आमदनी के स्त्रोत है, धारा 23 के प्रावधान लागू नहीं होते है। अपीलार्थीगण को मकान से कभी नहीं निकाला गया है और वह राजीखुशी मकान में उनका मन नहीं लगने के कारण अलग मकान में जाकर निवास कर रहे है। प्रत्यर्थीगण ने कभी अपने माता पिता को इस मकान के अन्दर आने जाने से कोई रोक रूकावट नहीं की है। प्रत्यर्थीगण के विवाह का समस्त खर्च प्रत्यर्थी संख्या 2 के माता पिता ने किया जिसमें दहेज में रूपयों की मांग को लेकर अपीलार्थी संख्या 1 ने प्रत्यर्थी संख्या 2 के माता पिता से काफी लडाई झगडा भी किया। होण्डा एक्टिवा एवं मोटर साइकिल व हुण्डाई कार की खरीद करने में प्रत्यर्थीगण का भी पैसा लगा हुआ है। जब से गाडियां ली गयी उनका प्रत्यर्थीगण ने ही संभाला है। बहस में आगे बतलाया कि आदेश दिनांक 28.06.2023 के

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

विरूद्ध प्रत्यर्थीगण द्वारा एक रिट याचिका S.B. Civil Writ Petitio No. 10771/2023 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जो रीट याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 28.05.2025 के जरिये निस्तारित कर दिया गया तथा प्रत्यर्थीगण को मौजूदा अपील प्रस्तुत करने हेतु लिबर्टी (Liberty) प्रदान की गई। अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 01 संयुक्त व्यापार करते थे तथा अपीलार्थी संख्या 01 सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी होने के नाते उक्त व्यापार क्रमशः एलआईसी ऐजन्ट कमीशन, डाक विभाग एजेन्ट कमीशन एवं अन्य परिलाभ योजनाएं में प्रत्यर्थी संख्या 01 ने अपीलार्थी संख्या 01 के साथ संयुक्त रूप से व्यापार कर कमीशन लाभ कमाया है इस कारण उससे प्राप्त आय से स्नेहवश उक्त वाहन पिता (अपीलार्थी संख्या 1) के नाम से खरीद किये गये थे तथा वाहन खरीदने की दिनांक से आज दिनांक उक्त वाहन का उपयोग व उपभोग व रखरखाव प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा किया जा रहा है तथा उक्त वाहन की अप्रार्थी संख्या 01 को कतई आवश्यकता नही है। उक्त वाहन रिश्तेदारों के बहकावे में आकर मांगे गये है। अपीलार्थीगण उक्त परिसर को खाली करवाकर बेचने पर आमदा है इस कारण प्रत्यर्थी संख्या 01 ने उक्त परिसर के बावत किसी प्रकार की खरीद फरोख्त न करे, इस संबंध में एक आम सूचना समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में 07.05.2025 को प्रकाशित करवाई गई है जो मौजूदा अपील के साथ प्रस्तुत की जा रही है, इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण की मंशा उक्त विवादित परिसर में रहने की कतई नही है। प्रत्यर्थीगण द्वारा न्यायिक दृष्टांत के रूप में उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.03.2025 की प्रति, उच्च न्यायालय राजस्थान के निर्णय दिनांक 21.02.2022 की प्रति व उच्च न्यायालय दिल्ली के निर्णय दिनांक 24 मई 2024 की प्रति प्रस्तुत की। बहस के अंत में प्रत्यर्थीगण ने अधीनस्थ अधिकरण के आदेश को खारिज करते हुए अपील निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षकारान की बहस व प्रस्तुत न्यायकि दृष्टांत पर मनन किया। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 4 में "अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण–(1) एक वरिष्ठ नागरिक, जिसमें अभिभावक शामिल है, जो स्वयं अपनी आय से या स्वयं द्वारा स्वामित्वाधीन सम्पति से स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ है, धारा 5 के अधीन आवेदन करने का हकदार होगा। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 वरिष्ठ नागरिकों एवं माता–पिता के कवच/बचाव के लिए है। प्रत्यर्थीगण द्वारा अधीनस्थ अधिकरण को प्रस्तुत जवाब में अपीलार्थीगण के पास पेंशन राशि के अतिरिक्त अन्य आय के स्त्रोतों तथा विभिन्न अचल सम्पतियों के तथ्य से अवगत कराया गया था जिस बिन्दु पर अधीनस्थ अधिकरण द्वारा जांच की जानी थी, इस कारण अपीलार्थीगण धारा 5 के अन्तर्गत अनुतोष प्राप्त करने के हकदार है या नही का निर्धारण नही किया जा सकता है। अतः उक्त विवेचनानुसार प्रत्यर्थीगण की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर

अपील अधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अधीनस्थ अधिकरण को प्रकरण पुनः प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि अधीनस्थ अधिकरण अपीलार्थीगण की आय के स्त्रोतों व सम्पति/जायदाद से संबंधित जांच हेतु जांच कमेटी बनाकर जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार प्राथमिकता पर प्रकरण का निस्तारण करे। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेष प्रति के साथ मूल अभिलेख संबंधित अधीनस्थ अधिकरण को सूचनार्थ एवं पालनार्थ पुनः लौटाया जावे। आदेश सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपील अधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

आदेश आज दिनांक 15.07.2025 को सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)